रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-15092021-229649
CG-DL-E-15092021-229649

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 518] नई दिल्ली, बुधवार, सितम्बर 15, 2021/भाद्र 24, 1943
No. 518] NEW DELHI, WEDNESDAY, SEPTEMBER 15, 2021/BHADRA 24, 1943

गृह मंत्रालय

(राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 सितम्बर, 2021

सा.का.नि. 632(अ).—केंद्रीय सरकार, आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 (2005 का 53) की धारा 75 के साथ पठित धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (समूह 'क' पद) भर्ती नियम, 2009 को और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात:-

(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (समूह 'क' पद) भर्ती (संशोधन) नियम, 2021 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (समूह 'क' पद) भर्ती नियम, 2009 की अनुसूची में:-

(क) सलाहकार (प्रचालन और संचार) के पद के संबंध में क्रम सं. 1 के सामने,-

(अ) स्तंभ (11) में,-

(i) "अनुभव" शीर्षक के अधीन,-

"(क) आवश्यक" उप शीर्ष के अधीन मद (i), (ii) और (iii) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:-

"(i) परिचालन योजना या नीति विनिर्मिति या आपदा प्रबंधन या योजनाओं या परियोजनाओं की अवधारणा, तैयारी, समन्वय और प्रबंधन या सुरक्षा बलों या केंद्रीय पुलिस संगठनों या पुलिस या दूरसंचार के वरिष्ठ स्तर के प्रबंधन में 15 वर्ष का अनुभव; और

(ii) अगली पीढ़ी के नेटवर्क या सूचना सुरक्षा या डाटा आधारित प्रबंधन नियंत्रण में नवीनतम झुकावों और विकास का ज्ञान।";

"(ख) "वाछनीय" उप शीर्ष के अधीन "टिप्पणी 1" में "साधारणता पाँच वर्ष से अधिक नहीं होगी" शब्दों के स्थान पर, "प्रारंभिक रूप में पाँच वर्ष की होगी जिसे कार्य करने के आधार पर सात वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है" शब्दों को रखा जाएगा;

(आ) स्तंभ (12) के "टिप्पणी 1" में "भर्ती चयन समिति, जिनमें निम्नलिखित होंगे, की सिफ़ारिशों पर मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति के अनुमोदन से की जाएगी" शब्दों के पश्चात् क्रम संख्या 1, 2 और 3 के स्थान पर निम्नलिखित को रखा जाएगा, अर्थात:-

1.	उपाध्यक्ष/सदस्य सचिव, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण	-	अध्यक्ष
2.	महानिदेशक, राष्ट्रीय आपदा मोचन बल	-	सदस्य
3.	अपर सचिव, गृह मंत्रालय (गृह सचिव द्वारा नामनिर्दिष्ठ किया जाएगा)	-	सदस्य

(ख) संयुक्त सलाहकार (पुनर्वास और पुनरुद्धार), संयुक्त सलाहकार (क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण), संयुक्त सलाहकार (प्रचालन केंद्र) और संयुक्त सलाहकार (संचार एंव सूचना प्रौद्योगिकी) के पदों से संबंधित क्रम संख्या 2, 3, 4 और 5 के सामने – स्तंभ (11) के "टिप्पणी 1" में "पाँच वर्ष से अधिक नहीं होगी" शब्दों के स्थान पर, "प्रारंभिक रूप में पाँच वर्ष की होगी जिसे कार्य करने के आधार पर सात वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है" शब्दों को रखा जाएगा।

[फा. सं. 44-3/2019-एनडीएम-II]

संजीव कुमार जिंदल, संयुक्त सचिव (डीएम)

नोट : राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (समूह 'क' पद) भर्ती नियम, 2009 एंव राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (समूह 'क' पद) भर्ती (संशोधन) नियम, 2017 को क्रमश: अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 682 (अ) तारीख 16 सितंबर, 2009 और सा.का.नि. 1477 (अ) तारीख 04 दिसंबर, 2017 के द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड-3, उपखंड-(i) में प्रकाशित किया गया था।

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

(National Disaster Management Authority)

NOTIFICATION

New Delhi, the 15th September, 2021

G.S.R. 632(E).—In exercise of the powers conferred by section 5 read with section 75 of the Disaster Management Act, 2005 (53 of 2005), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the National Disaster Management Authority (Group 'A' Posts) Recruitment Rules, 2009, namely:—

(1) These rules may be called the National Disaster Management Authority (Group 'A' Posts) Recruitment (Amendment) Rules, 2021.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the National Disaster Management Authority (Group 'A' Posts) Recruitment Rules, 2009 in the schedule,—

(a) against serial number 1. relating to the post of Advisor (Operations and Communications), —

(A) in Column (11), -

(i) under the heading "Experience",-

(I) under the sub-heading "(a) Essential," for items (i), (ii) & (iii), the following shall be substituted, namely: —

"(i) fifteen years of experience in operational plan or policy formulation or disaster management or conceptualisation, preparation, coordination and management of plans or projects or Senior level management of Defence Forces or Central Police Organisations or Police or Telecommunications; and

(ii) knowledge of latest trends and developments in next generation networks or information security or data based management control." ;

(II) under the sub-heading " (b) Desirable:" in "Note 1", for the words "not exceed five years" the words, " be initially for five years which may be extended upto seven years on basis of performance" shall be substituted;

(B.)in column (12), in "Note 1" after the words "Selection Committee consisting:", for serial numbers 1, 2 and 3, the following shall be substituted, namely;-

"1.	Vice Chairperson/ Member Secretary, National Disaster Management Authority	-	Chairman;
2.	Director General, National Disaster Response Force	-	Member;
3.	Additional Secretary, MHA (to be nominated by Home Secretary)	-	Member.";

(b) against serial numbers 2, 3, 4 and 5 relating to the posts of Joint Advisor (Rehabilitation and Recovery), Joint Advisor (Capacity Building and Training), Joint Advisor (Operations Centre) and Joint Advisor (Communications and Information Technology) in column (11) in "Note 1" for the words "Not exceed five years", the words, "be initially for five years which may be extended upto seven years on basis of performance" shall respectively be substituted.

[F. No. 44-3/2019-NDM-II]

SANJEEV KUMAR JINDAL, Jt. Secy. (DM)

Note : The National Disaster Management Authority (Group 'A' Posts) Recruitment Rules, 2009 & National Disaster Management Authority (Group 'A' Posts) Recruitment (Amendment) Rules, 2017 were published in the Gazette of India, Part II, Section-3, Sub-section (i) vide notifications number G.S.R. No. 682 (E), dated the 16th September, 2009 & G.S.R. No. 1477 (E), dated the 04th December, 2017 respectively.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2021.09.15 22:03:33 +05'30'